Consolidation of land holdings in villages of U.P.

@3280. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether consolidation of land holding in villages, tehsils and Sardhana in U.P. has been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether consolidation of land holdings in village Bamnoli of District Meerut has not been completed, if so, the reasons for the delay; and

(d) by when it is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) The information is being collected from the State Government of U.P. and will be placed on the Table of the House.

बंजर भूमि के विकास कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

3281. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री 5 अगस्त 1993 को राज्य सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न 1507 के उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरन्तर बढ़ रही बंजर भूमि के विकास के लिये केन्द्र और राज्य स्तर पर क्या-क्या योजनाएं लागू की जा रही हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा इस पर अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं के नाम क्या हैं और बंजर भूमि के विकास के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध किया गया; और

(ग) बंजर भूमि के विकास कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजर भूमि पर वनरोपण 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के तहत विभिन्न केन्द्र तथा राज्य योजना स्कीमों जिनमें सामाजिक वानिकी, मृदा सर्वेक्षण, समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, नदी घाटी परियोजना स्कीम, बीहड़ भूमि सुधार स्कीम भी सम्मिलित है, के जरिए किया जाता है । 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य स्कीमों के तहत पिछले तीन वर्षों में वनरोपण/वृक्षारोपण हेतु खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपये में
1990–91 . . .	627.78
1991–92 . . .	665.30
1992–93 . . .	704.05

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को बंजर भूमि के विकास हेतु शत प्रतिशत अनुदान सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है । इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी समितियों, महिला मंडलों, युवा मंडलों और अन्य संगठनों को वनरोपण तथा बंजर भूमि के विकास से सम्बन्धित कार्यों को करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है । इस कार्य में बीजांकुर उगाने, पौध-रोपन, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य, मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य और कोशकीट पालन सहित घास एवं चारा विकास आदि सहित छोटे कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन को शामिल किया जा सकता है । इस योजना के अंतर्गत परियोजना के मूल्यांकन के पश्चात् स्वैच्छिक एजेंसियों को सीधे ही निधियां अवमुक्त की जाती है । वर्ष 1992-93 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को 2.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी । वर्ष 1993–94 के लिये इस प्रयोजन हेतु 7.5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है ।

गुजरात के सूखाग्रस्त गावों में पेयजल की कमी

3282. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के सूखाग्रस्त गांवों में पेयजल की अत्यन्त कमी हो गई है क्योंकि अधिकांश कुएं सूख गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक गांव में अतिरिक्त कुओं की खुदाई के लिये राज्य को विशेष निधियों का आबंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गुजरात के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

@Previously Unstarred Question 2259, transferred from 13th August, 1993.